फर्नीचर नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

नीलामी की सूचना

दिनांक - 03.06.2026 :- फर्नीचर नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित फर्नीचरों की सार्वजनिक नीलामी होनी है। लकडी के निष्प्रयोज्य फर्नीचरों की नीलामी बिना तोल के तथा लोहे के निर्मित सामानों Scrap को रू० 40/- प्रति किलो न्यूनतम नीलामी राशि निश्चित कर नीलामी की जानी है । इसी मूल्य या इससे अधिक मूल्य की खुली बोली/निविदा, नीलामी हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीकर्ता /निविदादाता दिनांक 03.07.2026 को सायं 04:00 बजे उपस्थित होकर खुली निविदा /बोली में प्रतिवाद कर सकते हैं। नीलामी बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने के पश्चात लोहे से निर्मित सामानों Scrap को प्रति किलो इलेक्ट्रानिक वजन मापन यन्त्र से वजन कर तथा लकडी के निष्प्रयोज्य फर्नीचरों की नीलामी बिना तौल के की जायेगी।

उच्चतम निविदादाता/बोलीकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कुल नीलामी धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी, शेष 75 प्रतिशत धनराशि 05 दिन के अन्दर जमा करने के पश्चात नीलामशुदा सामानों को अपने व्यय पर ले जाने की अनुमति होगी। यदि नियत समय में सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो पूर्व में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर निविदादाता / बोलीकर्ता के समस्त अधिकार समाप्त समझे जायेंगे। यदि कुल नीलामी धनराशि बीस हजार रूपये से अधिक होती है तो सम्पूर्ण धनराशि पर 02 प्रतिशत जी०एस०टी० के रूप में अतिरिक्त धनराशि निविदादाता/बोलीकर्ता द्वारा देय होगी।

नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य सामानों को किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद न्यायालय में नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके देखा जा सकता है। नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय, सुलतानपुर की बेबसाइट (http://districts.ecourt.gov.in/sultanpur) तथा माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट (http://www.allahabadhighcourt.in) पर देखी जा सकती है।

सूचना जनपद न्यायालय के नोटिसबोर्ड पर चस्पा की जाय।

(Sunil Kumar)

जनपद न्यायाधीश ,
सुलतानपुर।
अध्यक्ष, नीलामी समिति

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर को नोटिसबोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
2. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर को नोटिसबोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुलतानपुर को नोटिसबोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
4. अधिशाषी अधिकारी, जिला पंचायत सुलतानपुर को नोटिसबोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
5. मुख्य विकास अधिकारी , विकास भवन, सुलतानपुर को नोटिसबोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
6. जिला सूचना अधिकारी , सुलतानपुर को शासनादेश सं०-562/29 2007 1007 74 (टी०सी०) दिनांक 04.07.2007 के अनुक्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु,
7. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
8. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष जनपद न्यायालय सुलतानपुर को बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(Sunil Kumar)

जनपद न्यायाधीश ,
सुलतानपुर।
अध्यक्ष, नीलामी समिति